भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 184A/2015-16

यदुनाथ टुडू बनाम चन्दमुखी हांसदा

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
5.6.2018	अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता यदुनाथ टुडू, पिता–स्व0 दुखु टुडू, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता चन्दमुखी हांसदा, पिता–श्री सुनील हांसदा, ग्राम–श्रीरामपुर, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है। अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते है। 05/06/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला।	